मूल वाद सं०–685/2020,
रीना बनाम महेशचन्द,
पंजीयन सं०–190/2020
CNR No.UPGZ01018301 2020

08–10–2020

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी।

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए।

उनकी ओर से प्रार्थनापत्र 26 क मय शपथपत्र 27 ग, अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सी०पी०सी० वास्ते संशोधन इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि वादपत्र मे टाईप होते समय टाईपिंग गलती के कारण पैरा नं० 11,12 मे तिथियां गलत टाईप हो गयी है। पैरा 11 की पंक्ति मे दिनांक 08–02–2020 एवं 09–02–2020 के स्थान पर गलती से 08–02–2019 एवं 09–02–2019 टाईप हो गया है, जो गलत है। पैरा न० 12 मे 11,12,13 पंक्ति मे दिनांक 08–02–2020 के स्थान पर 08–02–2019 व 10–02–2020 के स्थान पर 10–02–2019 टाईप हो गया है। इसी प्रकार पैरा 17 की पंक्ति 4–5 मे दिनांक 11–10–2019 के स्थान पर गलती से 11–10–2020 टाईप हेा गया है। इसलिए वाद पत्र पर समस्त सही तथ्यो को पत्रावली पर दर्ज करने हेतु संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए प्रस्तावित संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए।

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 26 क पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

वाद–पत्र मे बैनामा सम्बन्धी संव्यवहार की तिथियो के सम्बन्ध मे टाईपिंग त्रुटि दर्शित करते हुए उसे दुरूस्त किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी पक्ष अभी तक पत्रावली पर उपस्थित नही आया है। उल्लिखित त्रुटि प्रथम दृष्टया टाईपिंग त्रुटि परिलक्षित होती है। तदनुसार संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

संशोधन प्रार्थनापत्र कागज सं०–26 क स्वीकार किया जाता है। वांछित संशोधन अविलम्ब हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश/सुनवाई प्रार्थनापत्र 6 ग विद्वान अधिवक्ता वादिनी की प्रार्थना पर दिनांक 12–10–2020 को पेश हो।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला जज,कोर्ट सं०–6,
गाजियाबाद।

Digitally signed by Abhishek Kumar Srivastav
Date: 2020.10.08 15:42:45 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court